

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र

अपील संख्या 54/19

तारीख रज्जू- 12.12.19

नारायण पुत्र श्रवण जाति मीना उम्र 65 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

—रेस्पोडेन्ट

निर्णय


दिनांक 9.1.2020

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 275/19 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.19 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महापुरा के आराजी ख0नं0 371,372 कुल रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उमय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है तथा उक्त पत्रावली का अवलोकन करें अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित नोटिस मोहनलाल द्वारा लिया गया है। जबकि अपीलार्थी के परिवार में मोहनलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, साथ ही किसी प्रकरण में पश्चावर्ती अतिक्रमी पाया जाता है तो पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित राजस्व अभिलेख होना आवश्यक है। हल्का पटवारी द्वारा केवल अन्दाजे के आधार पर बिना मौके पर गये ही अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त भूमि के अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्त की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में अपने निर्णय दिनांक 21.02.19 की प्रति संलग्न की हुई है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतीचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशांषा की है। साथ ही पटवारी हल्का के बयान संलग्न है तथा अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व मिसल संख्या 389/19 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.19 की प्रति संलग्न है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है, यदि अपीलान्त की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा जो कि पेरकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है। मैं पेरकार सरकार की बहस से सहमत हूं। ऐसी स्थिति में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त अरवीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10/10/2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

